न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 55/2020 तारीख रजू :– 14.09.2020

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना (आर.ए.एस.)

1 निरंजन आयु–65 साल 2 बृजलाल आयु–55 साल	पिसरान झम्मन	जाति मीना निवासी–शेखपुरा तहसील–टोडाभीम, जिला	
3 लाली आयु–80 साल पत्नि झम्मन		करौली (राज.)	

सायलान

बनाम

1 धर्मसिंह 2 मोहरसिंह	पिसरान रामस्वरूप	जाति–मीना, निवासी–शेखपुरा, तहसील टोडाभीम, जिला–करौली (राज.)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी :– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 25/06/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 116 रकवा 42 ऐयर, खसरा नम्बर 2132 रकवा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 2189 रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 2190 रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 2230 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 2243 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2415 रकवा 1 ऐयर, खसरा नम्बर 2416 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 2496 रकवा 1 ऐयर, खसरा नम्बर 255 रकवा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 265 रकवा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 266 रकवा 5 ऐयर, खसरा नम्बर 268/2667 रकवा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 335 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 336 रकवा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 337 रकवा 1 ऐयर खसरा नम्बर 560/2677 रकवा 77 ऐयर, खसरा नम्बर 570 रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 678 रकवा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ऐयर, खसरा नम्बर 696 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 697 रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 703 रकवा 2 ऐयर, खसरा नम्बर 761 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 762 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 876 रकवा 24 ऐयर कुल किता 26 कुल रकवा 3.45 हैक्टेयर बांके ग्राम शेखपुरा तहसील टोडाभीम है जिसमें सायल नं0 1 का 1/6, सायल नं0 2 का 1/6 तथा सायला नम्बर 3 का 1/6 हिस्सा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, शेष में गैरसायलान नम्बर 1 व 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। आराजीयात खसरा नम्बर 34 रकवा 31 ऐयर, खसरा नम्बर 35 रकवा 5 ऐयर, खसरा नम्बर 36 रकवा 37 ऐयर, खसरा नम्बर 37 रकवा 44 ऐयर, खसरा नम्बर 42 रकवा 6 ऐयर, खसरा नम्बर 63 रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 64 रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 65 रकवा 2 ऐयर, खसरा नम्बर 66 रकवा 76 ऐयर कुल किता 9 कुल करवा 2. 35 हैक्टेयर स्थित ग्राम–शेखपुरा तहसील टोडाभीम है जिसमें सायल नम्बर 1 का 19/120 हिस्सा, सालय नम्बर 2 का 19/120 हिस्सा तथा सायल नम्बर 3 का 19/120 हिस्सा के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से गैरसायलान नम्बर 1 ता 6 हिस्से के रिकॉर्डेड खतेदार काश्तकार है। सायलान एवं गैरसायलान तथा मूल वाद के प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 6 के मध्य विधिवत रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं होने से सायलान, गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 6 के मध्य आये दिन डौल–मेड पर विवाद बना रहता है, जबकि उक्त आराजीयात का सायलान, गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 6 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है, जिसमें से मौके पर आराजी खसरा नम्बर 336 जो रास्ते के सहारे होने के कारण सायलान अपने हिस्से की आराजी में आने–जाने हेतु मौके पर बने करीब 30 फीट रास्ते में होकर आते जाते रहे है, लेकिन गैरसायलान द्वारा जबरन खसरा नम्बर 336 में होकर जा रहे 30 फीट रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से एवं सायलान की मौके पर बनी बाखल में होकर नवीन दरवाजा निकालने की धमकी देते है और खसरा नम्बर 335 व 336 में पुख्ता निर्माण करने की धमकी देते हुये उक्त भूमि को कृषि से अकृषि करने पर उतारू है, जिसका गैरसायल को कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा सायलान की बाखल में गैरसायलान द्वारा अवैध रूप से नवीन दरवाजा निकालने के सायल नम्बर 1 की पत्नि मीरा द्वारा विरोध करने पर गैरसायल नम्बर 1 व उसकी पत्नि द्वारा दिनांक 049.09.2020 को सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नम्बर 1 की पत्नि मीरा के साथ घर में जाकर मारपीट की जिसकी थानाधिकारी श्रीमहावीरजी में सायल नम्बर 1 की पत्नि मीरा द्वारा लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो जेरे अनुसंधान है। इस प्रकार मौके पर उक्त आराजी पर विवाद बना हुआ है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

बांका दिनांक 06.09.2020 का है कि सायल नम्बर 1 अपनी कब्जे व हिस्से की आराजी में बोई बाजरे की फसल की देखभाल कर रहे थे कि अचानक गैरसायलान अपने साथ ट्रेक्टर लेकर आये और ट्रेक्टर में भरी बजरी, पत्थरों, कंकरीट, ईट आदि मैटेरियल सामान को उक्त आराजी खसरा नम्बर 335 एवं 336 में डालने लगे और सायल की बाखल में नवीन दरवाजा निकालने की धमकी दी तो सायल नम्बर 1 ने कहा कि भाईयों य तुम क्या कर रहे हो, तो गैरसायल नम्बर 1 ने कहा कि हम तुम्हारे कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 335 में बनी बाखल में नवीन दरवाजानिकाल कर तुम्हारे हिस्से की बाउण्ड्री बॉल को तोड कर तुम्हारी बाखल में होकर दरवाजा निकालेगें और तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेगें और तुम्हारा रास्ता बन्द कर देगें, जिस पर सायल नम्बर 1 ने कहा कि हमारा, मुम्हारा पूर्व में मौके पर बंटवारा हो गया है और तुमने अपनी कब्जे की भूमि में पहले से ही निर्माण कर दरवाजा निकाल रखा है और अब तुम उस दरवाजा को बन्द कर हमारी बाखल व हिस्से में दरवाजा क्यों निकालना चाहते हो, जबकि पहले से ही मौके पर तुम्हारा दरवाजा लगा हुआ है, यदि तुम्हें नया निर्माण करना है तो तहसील में चलकर सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा करा लेते है, लेकिन गैरसायलान माने को तैयार नहीं है और अपनी हठधर्मीता पर आमादा है और जबरन सायलान के हिससे की जमीन की तरफ दरवाजा निकाल कर पुख्ता निर्माण करने को आमाद है, जिसका गैरसायलान को कोई अधिकार नहीं है। गैरसायलान को गांव के पंच पटेलों ने भी एवं रिश्तेदारों ने भी काफी समझाया लेकिन गैरसायलान ... तैयार नहीं है। गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को ... किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 116 रकवा 42 ऐयर, खसरा नम्बर 2132 रकवा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 2189 रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 2190 रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 2230 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 2243 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2415 रकवा 1 ऐयर, खसरा नम्बर 2416 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 2496 रकवा 1 ऐयर, खसरा नम्बर 255 रकवा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 264 रकवा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 266 रकवा 5 ऐयर, खसरा नम्बर 268/2667 रकवा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 335 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 336 रकवा 4 ऐयर, खसरा नम्बर 337 रकवा 1 ऐयर खसरा नम्बर 560/2677 रकवा 77 ऐयर, खसरा नम्बर 570 रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 678 रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 696 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 697 रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 703 रकवा 2 ऐयर, खसरा नम्बर 761 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 762 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 876 रकवा 24 ऐयर एवं आराजीयात खसरा नम्बर 34 रकवा 31 ऐयर, खसरा नम्बर 35 रकवा 5 ऐयर, खसरा नम्बर 36 रकवा 37 ऐयर, खसरा नम्बर 37 रकवा 44 ऐयर, खसरा नम्बर 42 रकवा 6 ऐयर, खसरा नम्बर 63 रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 64 रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 65 रकवा 2 ऐयर, खसरा नम्बर 66 रकवा 76 ऐयर स्थित ग्राम शेखपुरा, तहसील–टोडाभीम के संबंध में सायलान के हिस्से में मजाहमत मदखलत ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावें जिससे सायलान व सायलान की आराजीयात पर विपरीत प्रभाव पडता हो तथा गैरसायलान नम्बर 1 व 2 भूमि खसरा नम्बर 335, 336 व 337 स्थित ग्राम शेखपुरा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। भूमि की किस्म आबादी में परिवर्तन नहीं करे तथा सायलान के हिससे की आराजी में आने–जाने वाला 30 फीट चौड़ा रास्ता जो खसरा नं. 335 व 336 में बना हुआ है, में दरवाजा आदि का निर्माण नहीं करे और ना ही रास्ते को अवरूद्ध करे। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवंपदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादी वकील ने जबाव प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0नं0 116/0.42, 2132/0.08, 2189/0.15, 2190/0.16, 2230/0.09, 2243/0.11, 2415/0.01, 2416/0.09, 2496/0.01, 255/0.24, 264/0.08, 266/0.05, 268/2667/0.03, 335/0.07, 336/0.04, 337/0.01, 560/2627/0.77, 570/0.15, 678/0.10, 696/0.09, 797/0.21, 703/0.02, 761/0.07, 762/0.07, 876/0.24 ग्राम शेखपुरा तह0 टोडाभीम में होना स्वीकार है उक्त खसरा नम्बरान कुल किता 26 नहीं है वल्कि 25 है खसरा नम्बर 2212 रकवा 0.09 है0 का अंकन मद नं0 1 वाद पत्र में नहीं है खसरा नं0 -2212 रकवा 0.09 है0 सहित कुल किता 26 कुल रकवा 3.45 है0 ग्राम शेखपुरा तह0 टोडाभीम में है जिसमें गैरसायल नं0 1 2 प्रत्येक व हिस्सा 1/4 के नाम खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है तथा अपने अपने हिस्सेनुसार गैरसायल नं0 1 2 काबिज है तथा फसल दर फसल काश्त कर रहे है और आज भी काबिज है तथा काश्त कर रहे है। ख0नं0 34/0.31, 35/0.05, 36/0.37, 37/0.44, 42/0.06, 63/0.16, 64/0.18, 65/0.02, 66/0.76 कुल किता 09 कुल रकवा 2.35 है0 ग्राम शेखपुरा तह0 टोडाभीम में होना स्वीकार है जिसमें गैरसायलान नं0 1 2 प्रत्येक वहिस्सा 19/80 के नाम खातेदारी रेवेन्यू रिकोर्ड में दर्ज है तथा अपने अपने हिस्सेनुसार गैरसायल नं0 1 2 काबिज है तथा फसल दर फसल काकश्त कर हरे है और आज भी काबिज है तथा काश्त कर रहे है। सायलान द्वारा समस्त कथन एकदम गलत मदगढन्त व कपोल कल्पित अंकित करवा दिये है ख0नं0 336 गैरसायलान नं0 1 व 2 के कब्जे की आराजी है तथा ख0नं0 336 में होकर कोई रास्ता नहीं जा रहा है। सायलान द्वारा उक्त आराजी व रास्ते के बावत् एक मुदमा सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहा उनमानी निरंजन बनाम मोहरसिंह आदि कर रखा है जिसमें एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया जिसके खिलाफ अपील न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश हिण्डौन के [illegible] प्रस्तुत की जिसे न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायधीन हिण्डौन सिटी द्वारा खारिज फरमा दिया। आराजी ख0नं0 336 के सहारे जो रास्ते का कथन सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया है वह रास्ता आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

भूमि ख0नं0 1925 में स्थित है आराजी ख0नं0 336 गैरसायलान नं0 1 व 2 के कब्जे की आराजी है तथा ख0नं0 336 में होकर कोई रास्ता नहीं जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य सडक टोडाभीम श्रीमाहवीरजी से वादीगण के घर तक 3.65 मीटर चौडा खरन्जा नाली बनाई है ख0नं0 335, 336 संयुक्त खातेदारी की आराजी है ख0नं0 336 पर गैरसायलान 1 व 2 काबिज है ख0नं0 335 पर सायलान काबिज है ख0नं0 1925 गैर मुमकिन आबादी है जिसमें होकर रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ते को दबाने की नियत से ही प्रतिवादी नं0 1 व 2 कब्जेशुदा आराजी ख0नं0 336 के सामने दीवार खडी करके प्रतिवादी नं0 1 व 2 के आवागमन के रास्ते को पूर्णत बन्द कर दिया है जो कि कानूनन विधि विरूद्ध है। आराजी का पूर्ण से ही बाहमी बटवारा बुर्जुगों के समय से हो रहा है तथा उसी के मुताबिक सायलान एवं गैरसायलान वादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार खेतों पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा बटवारे के वाद सायलान एवं गैरसायलान अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार मोखिक तौर पर बदला कर रखा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम शेखपुरा के खाता संख्या 339 में कुल किता 26 कुल रकवा 3.45 है0, खाता संख्या 337 में कुल किता 9 कुल रकवा 2.35 है0 में सायलान एवं गैरसायालन सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार सायल, गैरसायल का सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः**— पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में साबित नहीं है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः**— प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे उभयपक्ष सहखातेदार है अतः किसी एक को दूसरे के विरूद्ध पाबन्द करना किसी एक पक्ष/उभयपक्ष को क्षति होने की संभावना कारित करता है। सबंधी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा से अपूरणीय क्षति की संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:27 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। उक्त आराजीयात सहखातेदारी की भूमि होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी एवंपदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्योचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/09/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:27 IST
Reason: SelfAttested